सं.पी.-17017/1/2010-आर सी

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16.11. 2011

परिपत्र सं. 12/2011

विषय: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में छूट।

भारत सरकार ने समेकित कार्य योजना (आईएपी) के लिए 60 जिलों को निर्धारित किया है जिसमें पूर्व निर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिले शामिल हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/आईएपी क्षेत्र में मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, बसावट के लिए आबादी तथा न्यूनतम पैकेज राशि संबंधी मानदण्डों के संदर्भ में पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों/मानदंडों में पहले ही छूट दी गई है।

दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 9 राज्यों, जिनमें 60 एलडब्लयूई प्रभावित/आईएपी जिले मौजूद हैं, से प्राप्त जानकारी को दृष्टि में रखते हुए पीएमजीएसवाई मानदंडों में निम्नलिखित रियायतें देने का निर्णय लिया गया है:-

I. पीएमजीएसवाई दिशा-निदेर्शों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एजेंसियों के चयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निविदा हेतु सुव्यवस्थित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि परियोजनाओं की स्वीकृति की तारीख से 75 दिन में निविदा तथा कार्य आबंटन संबंधी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। तथापि, कई राज्यों में पीएमजीएसवाई कार्यों हेतु निविदा संबंधी अनुभव से यह बात सामने आयी है कि अनेक मामलों में इन परियोजनाओं संबंधी कार्य के आबंटन में औसतन 5-6 महीनों से अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त, कुछ आईएपी जिलों में, अनेक पैकेजों के मामले में एकल बोली प्राप्त हो रही है जो अत्यधिक बाजार अपूर्णता की स्थिति को दर्शाता है। जिसके फलस्वरूप, अधिकांश राज्यों ने पहले ही ई-निविदा के जरिए पीएमजीएसवाई कार्यों का प्रापण करना शुरू कर दिया है ताकि वे इन

बाधाओं को दूर कर सकें तथा स्वीकृत परियोजनाओं संबंधी कार्य को निर्धारित समय सीमा में आबंटित कर सकें।

पीएमजीएसवाई कार्यों के लिए ई-निविदा के अनुभव से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ सामने आए हैं:-

(क) कार्य-संपादन प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

(ख) बोली लगाने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है तथा उनके बीच आपसी मिलीभगत की संभावनाओं में कमी आई है।

(ग) पारदर्शिता बढ़ी है।

(घ) बोली मूल्यों में तथा निविदा संबंधी प्रीमियम में कमी आई है।

(ङ) बोली प्रक्रिया प्रबंधन के समग्र व्यय में कमी आई है।

ई-निविदा के तुलनात्मक लाभों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी पीएमजीएसवाई कार्यों का ई-निविदा के द्वारा प्रापण किया जाएगा।

तथापि, 13 सितम्बर, 2011 को आयोजित "आईएपी जिलों में राष्ट्रीय कार्यशाला " में ई-निविदा के संबंध में पीएमजीएसवाई तथा एलडब्ल्यूई प्रभावित/आईएपी जिलों के जिलाधीशों तथा पीएमजीएसवाई संबंधी कार्य देख रहे राज्यों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि अधिक प्रभावित कुछ एलडब्ल्यूई ब्लॉकों में ई-निविदा के द्वारा बोली लगाने वाले अनेक बाहरी ठेकेदार सड़कों के वास्तविक निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे इन ब्लॉकों में ई-निविदा के विफल होने के अनेक मामले लंबित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले एलडब्ल्यूई/आईएपी जिलों के छोटे ठेकेदार जानकारी के अभाव में ई-निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए, ऐसे ब्लॉकों में मैनुअल टेंडरिंग का अनुरोध किया गया था ताकि स्थानीय ठेकेदारों को कार्य के लिए बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रपत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ ई-निविदा प्रक्रिया में छूट देने तथा वामपंथी उग्रवाद से अधिक प्रभावित एलडब्ल्यूई ब्लॉकों में मैनुअल टेंडरिंग की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:-

(क) जहां, ई-निविदा के तीन बार मांगने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है, संबंधित कार्यकारी अभियंता ऐसा प्रमाण पत्र जारी करता है।
(ख) आईएपी समिति जिसमें जिलाधीश, आरक्षी अधीक्षक, डीएफओ तथा संबंधित ब्लॉक में पीएमजीएसवाई की देख-रेख कर रहे कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, से ऐसी सिफारिश के पश्चात्।
(ग) संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा की गई ऐसी छूट के अनुमोदन के बाद।

II. पीएमजीएसवाई की परिचालन नियम पुस्तिका के पैरा 3.3.1 के अनुसार, पीएमजीएसवाई के सभी प्रस्तावित सड़क संपर्कों की एक व्यापक नई सड़क-संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) ब्लॉक तथा जिला स्तर पर तैयार की जाती है। प्राथमिकता निर्धारण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन जो भी प्रक्रियाविधि अपनाई जाती है उसे पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। उक्त प्रक्रियाविधि की प्राथमिकता संबंधी बुनियादी विशेषताएं निम्न प्रकार से होनी चाहिए:-

(क) प्रारंभ में, प्रस्तावित सड़कों को प्राथमिकता के क्रम में श्रेणीबद्ध किए जाने की जरूरत होगी।
(ख) प्राथमिकता क्रम के अंतर्गत, राज्य/जिला या ब्लॉक को नियोजन इकाई मानते हुए सुविधा के अनुसार आगे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
(ग) किसी प्राथमिकता क्रम तथा नियोजन इकाई के लिए सूचीकरण, कुल लाभान्वित आबादी के आधार पर किया जा सकता है।
(घ) प्रति कि.मी. लाभान्वित आबादी आदि के संदर्भ में उपयोगी पाए जाने पर इस संबंध में आगे सुधार किए जा सकते हैं।

13 सितम्बर, 2011 को आयोजित " आईएपी जिलों की राष्ट्रीय कार्यशाला " में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ अधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित ब्लॉकों में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों की आशंका के कारण, सड़क कार्य सिर्फ सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही किए जा सकते हैं। अगर सीएनसीपीएल सूची का अक्षरशः पालन किया जाता है तो उससे यह स्थिति सामने आएगी, जहाँ स्वीकृत सड़कें दूर-दूर हो जाएंगी जिसके फलस्वरूप अधिक संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सम्पर्क-विहीन पीएमजीएसवाई सड़कों की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव भेजते समय व्यापक नई सड़क-सम्पर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) में छूट सहित " सामूहिक दृष्टिकोण " अपनाया जा सकता है।

III मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने वाले बोलीदाता बोली लगाने के लिए तभी पात्र होंगे जब निर्माण कार्य के लिए उनकी उपलब्ध बोली क्षमता बोली के कुल मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक होगी। उपलब्ध बोली क्षमता का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा :

निर्धारित उपलब्ध बोली क्षमता = (ए* एन* एम - बी), जहाँ एम = 2 अथवा ऐसा उच्चतर अंक, जो 3 से अधिक नहीं हो, जैसा कि आईटीबी के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट किया गया है।

दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को " आईएपी जिलों की राष्ट्रीय कार्यशाला" में हुई चर्चा के दौरान यह जानकारी मिली कि एलडब्ल्यूई प्रभावित/आईएपी जिलों के उस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले छोटे ठेकेदारों के पास यद्यपि कार्य का अच्छा अनुभव है और निर्माण मशीनरी को भाड़े पर लेने की क्षमता है फिर भी वे पर्याप्त बोली क्षमता के अभाव में निविदा प्रक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं ले पाते हैं। चूंकि यहाँ कार्य का अच्छा अनुभव रखने वाले स्थानीय ठेकेदारों को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए यह महसूस किया गया कि ठेकेदारों की बोली क्षमता के निर्धारण के मानदंड में छूट दी जाए, ताकि छोटे ठेकेदार भी पीएमजीएसवाई निर्माण कार्य में भाग ले सकें।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों की " बोली क्षमता के निर्धारण के मानदंड" में छूट देने का निर्णय लिया गया है और इसलिए सभी 60 आईएपी जिलों में निविदा दस्तावेज़ में " बोली क्षमता निर्धारण सूत्र" में 'एम' के मान को उपर्युक्त

के अनुसार बढ़ा कर 2 से 3 कर दिया गया है। तद्नुसार, राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे आईएपी जिलों में निर्माण कार्य के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले बोली दस्तावेज में इस शर्त को शामिल करें।

IV. पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम दिशा-निर्देश के खंड 13.1 के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 9 कार्यशील महीनों के भीतर पूरा करना होता है। दिशा-निर्देश में यह भी प्रावधान है कि कार्य की समय सारणी निर्धारित करते समय कार्यान्वयन की अवधि उचित रूप से निर्धारित की जाए, जो किसी भी स्थिति में 12 कैलेण्डर माह से अधिक नहीं होगी।

13 सितम्बर, 2011 को " आईएपी जिलों की राष्ट्रीय कार्यशाला" में हुई चर्चा के दौरान यह जानकारी मिली कि परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान दूरी और वामपंथी उग्रवाद आदि की वजह से उत्पन्न खतरों के कारण एलडब्ल्यूई प्रभावित/आईएपी जिलों में परियोजना पूरी होने में देरी हुई जिससे ठेकेदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कार्य पूरा करने के लिए 24 कैलेण्डर माह तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागत में वृद्धि के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यक्रम निधि से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी। तद्नुसार, राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे आईएपी जिलों में कार्य के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले बोली दस्तावेज में इस शर्त को शामिल करें।

V. पीएमजीएसवाई बोली दस्तावेज के खंड 13.1 के अनुसार ठेकेदार अपने ठेके के संबंध में निर्माण कार्य, संयंत्र और सामग्री की क्षति अथवा नुकसान, उपकरण की क्षति अथवा नुकसान, सम्पत्ति (निर्माण कार्य, संयंत्र, सामग्री, उपकरण को छोड़कर) की क्षति अथवा नुकसान जैसी घटनाओं के लिए ठेके संबंधी आँकड़ों में उल्लिखित कटौती की स्थिति में निर्माण कार्य के आरंभ की तारीख से समापन की तारीख तक और कार्य के समापन की तारीख से नैमित्तिक अनुरक्षण कार्य की जवाबदेही के अंत तक के लिए अपनी लागत पर नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे।

13 सितम्बर, 2011 को "आईएपी जिलों की राष्ट्रीय कार्यशाला" में हुई चर्चा के दौरान यह जानकारी मिली कि अनेक अवसरों पर ठेकेदारों के संयंत्र और मशीन वामपंथी उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी जाती है अथवा जला दी जाती है और संबंधित सम्पत्ति नष्ट कर दी जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आकलन और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय ऐसे जोखिम के लिए बीमा प्रीमियम की लागत भी शामिल की जाए।

(रोहित कुमार)
निदेशक (आर सी)

सेवा में

पीएमजीएसवाई का कार्य देखने वाले सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव

प्रति प्रेषित :

1. सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (आर सी) के निजी सचिव।
2. सभी निदेशक (आर सी)/एनआरआरडीए
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी)
4. गार्ड फाइल